मोहरबंद प्रस्ताव हेतु नियम एवं शर्ते

1. आफरकर्ता एक से अधिक सम्पत्ति के लिये आफर दे सकते है परन्तु प्रत्येक के लिये अलग से आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज उपयोग में लाना होगा। परन्तु एक से अधिक भवन के लिये आफर स्वीकार होने के उपरान्त ऑफर में प्रस्तावित इकाई क्रय न होने पर शर्त क्रमांक 09 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. केवल उच्चतम करदाता की अमानत राशि रोकी जावेगी, शेष आवेदकों की राशि ऑफर खुलने के उपरान्त वापस की दी जावेगी। तथापि विशेष परिस्थिति में उक्त शर्त परिवर्तनीय होगी। इस हेतु सम्पदा अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
3. मोहरबंद प्रस्ताव हेतु बोर्ड के अन्य सभी नियम एवं शर्ते भी लागू होगी।
4. प्राप्त प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निर्णय लिया जाकर अवगत कराया जावेगा तब तक उच्चतम आफरदाता की धरोहर राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
5. प्रस्तावित सम्पत्ति की शेष राशि ऑफर स्वीकृत होने पर आफरकर्ता को 30 दिवस के भीतर जमा करानी होगी। तदोपरान्त मण्डल परिपत्र क्रमांक 18/15 दिनांक 18.03.2015 के अनुसार कार्यवाही होगी। ऑफर स्वीकृति दिनांक से 120 दिन में सम्पूर्ण राशि जमा न होने पर ऑफर स्वतः निरस्त होगा तथा जमा राशि बिना ब्याज वापस होगी।
6. प्रस्तावित सम्पत्ति की अवशेष राशि निर्धारित समयानुसार जमा न होने पर उच्चतम ऑफरकर्ता की धरोहर राशि में से 50% के बराबर राशि कटौती कर शेष बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
7. प्रस्तावित सम्पत्ति का अधिपत्य उसके रजिस्ट्री के उपरान्त दिया जाएगा। रजिस्ट्री का व्यय ऑफरकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
8. सम्पत्ति के आवंटन व अधिपत्य होने पर मण्डल/राज्य व केन्द्र शासन/स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार सम्पत्ति कर भारित होने वाले समस्त कर अलग से आवंटी द्वारा देय होगे।
9. सम्पत्ति लीज पर रहने की स्थिति में शासन व मण्डल द्वारा निर्धारित लीजरेन्ट आवंटी द्वारा देय होगा।
10. सम्पत्ति का जिस उपयोग हेतु आवंटन होगा उसका उपयोग उसी उददेश्य के लिये किया जावेगा, अन्यथा उपयोग वर्जित होगा।
11. ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तावित सम्पत्ति का निरीक्षण एवं आकलन करना अनिवार्य है। आफर प्रस्तुत होने के उपरान्त सम्पत्ति यथा स्कीम में हस्तांतरित होगी।
12. प्राप्त ऑफर ऑफसेट मूल्य से अधिक होने पर भी बिना कोई कारण बताये मण्डल को आफर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नही होगा।
13. आवंटी के अनिवार्य रूप से परिसर/कॉलोनी की रहवासी कल्याण समिति की सदस्यता ग्रहण करानी होगी एवं इस हेतु सदस्यता फार्म तथा त्रिपक्षीय अनुबंध हस्तान्तरित करना होगा।

(क्रमशः -2)

14. सम्पत्ति परिसर में स्थित होने से सामूहिक हाउसकीपिंग एवं रख-रखाव हेतु आवंटी से मण्डल द्वारा स्वीकृत आफर मूल्य का क्रमशः 2/5/10 प्रतिशत राशि एक मुश्त पृथक से अधिपत्य के पूर्व ली जाऐगी। ऐसी प्राप्त राशि के ब्याज से सामूहिक हाउस कीपिंग एवं रख-रखाव का कार्य रहवासी कल्याण समिति द्वारा निष्पांदित होगा। यदि अर्जित ब्याज की राशि में रख-रखाव का कार्य सम्पादित नही होता है तो परिसर में आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल के अनुपात में निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रतिमाह आवंटी द्वारा रहवासी कल्याण समिति को देय होगी। यह राशि आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय रहेगी।
15. परिसर का सामूहिक रख-रखाव हेतु प्राप्त राशि परिसर के आवंटियों की पंजीकृत समिति को परिसर के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना अनिवार्य होगा तथा उस मद में जमा राशि समिति को सावधि जमा के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी। सामूहिक रख-रखाव की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व समिति का रहेगा तथा प्रत्येक आवंटी को पंजीकृत समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नियमानुसार मांग अनुसार मासिक/वार्षिक देय होगा।
16. इस नियमों व शर्तो के अतिरिक्त मण्डल द्वारा जारी अन्य नियम एवं शर्ते लागू होगी।
17. बिजली कनेक्शन एवं जल कनेक्शन आवंटी को स्वयं के व्यय से सम्बंधित संस्था से लेना होगा व उनके नियमानुसार प्रभार एवं कर देय संबंधित संस्था को देना होगा।
18. आवंटी को आवंटित क्षेत्र का रख-रखाव एवं स्वच्छता का स्वयं प्रबंध करेगा।
19. आंवटी को क्षेत्र के रख-रखाव हेतु फेसिलिटि मेनेजमेन्ट कम्पनी/पंजीकृत समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डो का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. आवंटित सम्पत्ति का हस्तान्तरण मण्डल के प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अन्तर्गत हो सकेगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मण्डल के परिपत्र क्रमांक 04 दिनांक 12.01.2016 के अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु ऑफरदाता स्वतंत्र होगा।
22. नियम एवं शर्ते हस्ताक्षर कर मोहरबन्द प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
23. एकल ऑफर प्राप्त होने पर गुण/दोष के आधार पर भी निर्णय लिया जावेगा।
24. प्रकोष्ठ भवनों में नियमानुसार सामान्य प्रभार शुल्क (सी.एस.सी. चार्जेज) प्रथक से देय होगा।
25. उक्त सम्पत्ति यथास्थिति में सौपी जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल सतना (म0प्र0)

आवेदक के हस्ताक्षर ....
नाम...
पता...
दिनांक ....
स्थान ....